

कुलसचिव

REGISTRAR



0542 - 2222689 (O)

0542 - 2223099 (R)

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ,

वाराणसी-२२१००२

MAHATMA GANDHI KASHI VIDYAPITH,  
VARANASI-221002

पत्रांक:-कु.स.-२सी-समिअ/१४ २५/(शो.पं.अर्थशास्त्र-७-३-१०- २०१८)/१७

दिनांक:- १७ अक्टूबर, २०१८

सेवा में,

वित्त अधिकारी,

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ,

वाराणसी।

महोदय,

अर्थशास्त्र विषय की दिनांक २४.०५.२०१८ एवं १३.०९.२०१८ को सम्पन्न शोध समिति की बैठक में अधोलिखित अभ्यर्थियों को शोध पंजीकरण के लिए शुल्क जमा करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है-

क्र०सं०	छात्र/छात्रा का नाम	पिता का नाम
१.	श्री आदित्य कुमार झा	श्री राजेन्द्र झा
२.	श्री आशुतोष पाण्डेय	श्री राम कवल पाण्डेय
३.	श्री अभय सिंह	श्री अशोक सिंह
४.	श्री अरुण कुमार (एस०सी०)	श्री हरिश्चन्द्र
५.	श्री अमित कुमार त्रिपाठी	श्री राकेश चन्द्र त्रिपाठी
६.	सुश्री अर्चना गौतम	श्री सीताराम
७.	श्री गोपाल प्रसाद (एस०सी०)	श्री पन्ना लाल
८.	श्री हंसराज कुमार	श्री राम नाथ महतो
९.	श्री सत्यप्रकाश	श्री अम्बिका प्रसाद पाण्डेय
१०.	श्री प्रेमचन्द्र निगम (एस०सी०)	श्री मुराहू राम
११.	श्री सुरेन्द्र प्रताप यादव	श्री जयनाथ यादव
१२.	सुश्री सूचिता कुमारी	श्री विजय नारायण तिवारी
१३.	श्री संजय कुमार वर्मा	स्व०कल्लू राम
१४.	श्री स्वतंत्र प्रताप सिंह	श्री लल्लू सिंह
१५.	श्री सुमन कुमार प्रेमी	श्री वकील प्रसाद सिंह
१६.	सुश्री श्वेता सोनकर (एस०सी०)	श्री ध्यानचन्द्र सोनकर
१७.	श्री सत्यानन्द राव (एस०सी०)	श्री रामकरन राम
१८.	सुश्री अंजू सोनकर (एस०सी०)	श्री लक्खन राम

Received  
for  
11.10.18

19.

श्री धर्मेन्द्र यादव

श्री पलकधारी यादव

कृपया उपर्युक्त के अनुसार अभ्यर्थियों का शोध पंजीकरण (कोर्स वर्क) का शुल्क दिनांक 30.10.2018 तक जमा करने हेतु शुल्क काउण्टर को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मा0कुलपति जी - सूचनार्थ।
2. विभागाध्यक्ष, अर्थशास्त्र विभाग को इस आशय से कि अपने स्तर से अभ्यर्थियों को सूचित करने का कष्ट करें।
3. प्रभारी, संगणक केन्द्र को इस आशय से कि उक्त सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करें।
4. उपर्युक्त सभी अभ्यर्थियों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निर्धारित तिथि तक शुल्क जमा कर शुल्क रसीद की एक छायाप्रति अपने विभाग व एक प्रति समिति अनुभाग में भी जमा करें। जो अभ्यर्थी निर्धारित तिथि तक शुल्क जमा नहीं करता है तो इसके पश्चात् उसे कोई अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा।
5. सम्बन्धित पत्रावली।

कुलसचिव